उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
धिकारीः—श्रीमति टीना डाबी, आई.ए.एस.
रः—231/2018 प्रार्थना पत्र
ाल पिता नंदलाल सुनार, उम्र बालिग निवासी हलेड़ तहसील व जिला भीलवाड़ा
-----प्रार्थी

बनाम

न्द्र पिता सुखदेव जाट, उम्र बालिग निवासी हरणीकंला तहसील व जिला भीलवाड़ा
र पिता घीसू खटीक, उम्र बालिग निवासी पंचवटी रोड़, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा
ीशंकर पिता नंदलाल सुनार, उम्र बालिग निवी हलेड़ तहसील व जिला भीलवाड़ा
श पिता गोरधन खटीक, उम्र बालिग निवासी दादाबाड़ी—भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा
मल पिता लक्ष्मण खटीक, उम्र बालिग निवासी दादाबाड़ी—भीलवाड़ा तहसील व जिला
ड़ा (राजस्थान)
न राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
----विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

:: नि र्ण य :: दिनांकः—29.3.2019

वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू—राजस्व 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम हलेड़ पटवार ड़ तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 94/1 रकबा 13 बिस्वा, 95/1 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज रेकार्ड है। विपक्षीगण आराजियात के पड़ौसी हैं। प्रार्थी के खाते व कब्जे काश्त की आराजियात के सीमा चिन्ह नहीं कारण आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। इस कारण प्रार्थी अपने खाते एवं श्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थी का त्र स्वीकार फरमाया जाकर पत्थरगढी किये जाने का आदेश प्रदान फरमावें।

वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 29.8.2018 को पंजीबद्व किया जाकर म्मन विपक्षीगण को तलब किया गया। विपक्षीगण संख्या 2, 3, 4 व 5 के सम्मन बाद तामिल ा। जिसे शामिल पत्रावली किये गये । विपक्षीगण संख्या 2, 3, 4 व 5 को कितनी ही मर्तबा आवाजे दिलाई जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 22.10.2018 को एक ार्यवाही किये जाने का आदेश पारित किया गया। विपक्षी संख्या 1 व 6 का सम्मन बाद तामिल ा। जिसे शामिल पत्रावली किये गये। विपक्षी संख्या 1 व 6 को कितनी ही मर्तबा विधिवत् दिलाई जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 25.3.2019 को एक तरफा किये जाने का आदेश पारित किया गया।

वकील प्रार्थी ने एक तरफा बहस करनी चाही। वकील प्रार्थी की एक तरफा ुनी गयी । बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी को अपने खाते व कब्जे ी आराजियात की सीमा जानकारी नहीं होने के कारण फसल काश्त करते समय, फसल काटते ीमा बाबत विपक्षीगण के मध्य विवाद होता रहता हैं। इस कारण प्रार्थी अपने खाते एवं कब्जे ी आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी करवाना चाहता हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को सिद्व कराने में रहने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूँ, अतः

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

:: आ दे श ::

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 स्वीकार किया जाकर ग्राम हलेड़ पटवार हल्का हलेड़ तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित राजी नम्बर 94/1 रकबा 13 बिस्वा, 95/1 रकबा 13 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 1 बीघा 6 मि की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। पत्थरगढ़ी ने के लिये भू–अभिलेख निरीक्षक, सुवाणा को 250/–रूपये (दौ सौ पचास रूपये) कमिश्नर र कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर मा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी/उपस्थिति में पत्थरगढ़ी की जावें। पत्थरगढ़ी किये जाने के सीलदार, भीलवाड़ा को पालना हेतु लिखा जावें।

(टीना डाबी)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 29.3.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner